प्रेषक,

श्री हेरम्ब मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 मई, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत निम्नांकित मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पाँच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लेखानुदान की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-02/पर्या/लेखा-14/2016-17 दिनांक 06.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक- ''3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन'' के ''03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के अन्तर्गत रू0 3,05,53,000-00 तथा 04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत रू0 1,09,87,000-00 एवं लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी के मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0 10,00,000-00 अर्थात कुल रू0 4,25,40,000-00 (रू0 चार करोड़ पचीस लाख चालीस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था की गई है जिसमें से पाँच माह के लेखानुदान की धनराशि रू0 1,70,19,000-00 (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख उन्नीस हजार) की धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग के आय-व्यय अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च 2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करते हैं।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

मद/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु की गई कुल बजट प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये पाँच माह के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
अनुदान सं0-45		
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		
04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय		
01-वेतन	203.83	84.93
02-मजदूरी	11.60	4.83
03-मंहगाई भत्ता	10.19	4.25
04-यात्रा व्यय	3.00	1.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.25
06-अन्य भत्ते	9.52	3.97
07-मानदेय	0.10	0.04
08-कार्यालय व्यय	1.50	0.63
09-विद्युत देय	12.00	5.00
10-जलकर/जल प्रभार	7.00	2.92
11-लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	0.80	0.33
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.42
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.42
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	1.25
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	6.00	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान		
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	8.60	3.58
18-प्रकाशन	0.50	0.21
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.30	0.13
29-अनुरक्षण	4.00	1.67
42-अन्य व्यय	2.00	0.83
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.21
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	0.42
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.42
49-चिकित्सा व्यय	3.00	1.25
51-वर्दी व्यय	0.20	0.08
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	12.29	--
योग-03	**305.53**	**122.21**
04-क्षेत्रीय कार्यालय		
01-वेतन	78.80	32.83
02-मजदूरी	1.00	0.42
03-मंहगाई भत्ता	3.94	1.64
04-यात्रा व्यय	2.00	0.83
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.80	0.33
06-अन्य भत्ते	3.68	1.53
07-मानदेय	0.10	0.04
08-कार्यालय व्यय	1.00	0.42
09-विद्युत देय	3.00	1.25
11-लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	0.40	0.17
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.21
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.21
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	1.20	0.50
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.00	1.25

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18-प्रकाशन	0.20	0.08
42-अन्य व्यय	1.00	0.42
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.44	0.17
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.21
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	0.42
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.21
49-चिकित्सा व्यय	1.50	0.63
51-वर्दी व्यय	0.10	0.04
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.75	--
योग-04	**109.87**	**43.81**
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 800-अन्य व्यय 04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी 42-अन्य व्यय	10.00	4.17
कुल योग	**425.40**	**170.19**

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 के प्रस्तर-3 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान के 01 अक्टूबर, 2017 के बाद देय होने के कारण उक्त मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-45, ''लेखाशीर्षक- 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के 03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान'' निदेशालय के अन्तर्गत रू0 3,05,53,000-00 तथा ''04- क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत रू0 1,09,87,000-00 एवं लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अथारिटी के मानकमद संख्या-42-अन्य व्यय के संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(हेरम्ब मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2017/111(1)/55-पर्या-2-2017-221(पर्या)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।